न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–121/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00091)

1. रामानन्द,
2. रामकिशोर,
3. लक्ष्मीनारायण,
4. राजकुमार,
5. गजानन्द,
6. छोटीलाल,
7. मनोज,
8. कालूराम पुत्रान छीतरमल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र मोती सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र नानू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सीगवाना हाल निवासी बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. प्रहलाद जांगिड़ पुत्र रामपाल जांगिड़, जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामसिंह पुत्र लालाराम, जाति जाट निवासी डी–112, भीम कॉलोनी वार्ड नम्बर 1, मुरलीपुरा जयपुर।
5. सरदार सिंह पुत्र गोपीराम चौधरी जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. विनोद कुमार शर्मा पुत्र नन्दलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजेन्द्र शर्मा पुत्र सुन्दरलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

8. सीताराम पुत्र मंगलचन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर जिला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील सख्याः–122/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00166)

1. रामानन्द,
2. रामकिशोर,
3. लक्ष्मीनारायण,
4. राजकुमार,
5. गजानन्द,
6. छोटीलाल,
7. मनोज,
8. कालूराम पुत्रान छीतरमल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. बलवीर सिंह पुत्र मोती सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र नानू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सीगवाना हाल निवासी बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. प्रहलाद जांगिड़ पुत्र रामपाल जांगिड़, जाति खाती, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामसिंह पुत्र लालाराम, जाति जाट निवासी डी–112, भीम कॉलोनी वार्ड नम्बर 1, मुरलीपुरा जयपुर।
5. सरदार सिंह पुत्र गोपीराम चौधरी जाति जाट, निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. विनोद कुमार शर्मा पुत्र नन्दलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम सेवापुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजेन्द्र शर्मा पुत्र सुन्दरलाल शर्मा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दौलतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

8. सीताराम पुत्र मंगलचन्द, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम खोराश्यामदास, तहसील आमेर ज़िला जयपुर।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक: 13.08.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 08.12.2014 संख्या (प्रकरण संख्या 14/2014) एवं नामान्तरकरण संख्या 624 पर पारित आदेश दिनांक 11.12.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 419 से 421, 423 से 428, खसरा नम्बर 444, 962, 964, 413/992, 415/995 कुल रकबा 66 बीघा 1 बिस्वा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार झूँथालाल पुत्र धन्ना, जाति ब्राहाम्ण निवासी खोराश्यामदास, तहसील आमेर था तथा वर्तमान बन्दोबस्त के दौरान वादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 712, 714, 716, 717, 719, 721, 722, 737, 1656, 1657, 1658, 1660, 1662 1663, 1665 बने जो वर्तमान में प्रभावी है, उक्त झूँथालाल ने भूमि खसरा नम्बर 423 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के सम्बन्ध में एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध नानूसिंह पेश किया, इस वाद में नानूसिंह ने वादी झूँथालाल से दिनांक 26.08.1968 को वाद की विषयवस्तु से हटकर एक राजीनामा प्रस्तुत कराकर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि रकबा 66 बीघा 1 बिस्वा में

राजस्व अपील आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

स्वयं के नाम 1/4 भाग अंकित कराने की डिक्री प्राप्त कर ली, दिनांक 26.08.1968 के निर्णय की डिक्री दिनांक 31.03.1986 को बनाई गई इसके पश्चात् झूँथालाल की मृत्यु हो गई। उन्होने आगे कथन किया है कि इस निर्णय दिनांक 26.08.1968 एवं डिक्री दिनांक 31.03.1986 के विरूद्ध (अपीलार्थीगण के पिता एवं हकपूर्वाधिकारी) ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने दिनांक 26.04.1994 को अपील पर अपना निर्णय पारित करते हुऐ निर्णय दिनांक 26.08.1968 व डिक्री दिनांक 31.03.1986 को निरस्त कर दिया तथा निर्णय दिनांक 26.08.1968 के निर्णय के आधार पर नानूसिंह ने भूमि खसरा संख्या 964 में से 11 बीघा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 139 दिनांक 15.10.1969 अपने नाम अंकित करा ली और भूमि को बिरधीचन्द पुत्र हनुताराम को विक्रय कर दी, बिरधीचन्द ने भी इस भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.1978 के द्वारा शैतान सिंह व उम्मेद सिंह को विक्रय कर दी।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 26.04.1994 के विरूद्ध शैतान सिंह व उम्मेद सिंह ने न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2002 के द्वारा खारिज कर दिया गया तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 26.04.1994 के पश्चात् छीतर अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 जाब्ता दीवानी सहायक कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, उन्होने छीतर द्वारा प्रस्तुत प्रर्थना पत्र को अपनी आज्ञा दिनांक 16.10.1995 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध छीतर ने राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपील में निर्णय दिनांक 21.11.1996 को पारित करते हुये सहायक कलक्टर जयपुर का निर्णय दिनांक 16.10.1995 निरस्त कर दिया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये निर्णय दिनांक 27.08.1968 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 21.11.1996 के विरूद्ध शैतान सिंह व उम्मेद सिंह ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील पेश की इस अपील पर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 23.12.200 को अपना निर्णय पारित करते हुये शैतान सिंह व उम्मेद सिंह की अपील खारिज कर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 21.11.1996 यथावत रखा तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 21.11.1996 की अनुपालना में छीतर एवं मंगला उर्फ मंगलचन्द, कानाराम जरिये नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 21.12.1996 बन्दोबस्त कार्य के दौरान सहायक भू अभिलेख अधिकारी के द्वारा तस्दीक किया गया, परिणामस्वरूप छीतर व मंगला उर्फ मंगलचन्द का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हो गया।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया है कि राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दोनों अपीले के विचारान के दौरान अपीलार्थीगण छीतर की मृत्यु हो गई अपीलार्थीगण उसमें उत्तराधिकारी है, कुछ समय पश्चात् मंगला उर्फ

P.T.O.

मंगलचन्द की भी मृत्यु हो गई, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 उसका उत्तराधिकारी है और इनका नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अंकित है। उन्होने आगे कथन किया है कि बलवीर सिंह पुत्र मोती सिंह ने स्वयं को नानू सिंह का दत्तक पुत्र बताकर एवं वाद बाबत घोषणा विरूद्ध अपने सहादर भाई, बहनों को प्रतिवादी बनाकर न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रमांक 25, जयपुर महानगर जयपुर मुख्यालय चौमू के समक्ष प्रस्तुत किया जिस वाद में वादी एव प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2014 को राजीनामा पेश कर बलवीर सिंह वादी को नानूसिंह का उत्तराधिकारी घोषित करा लिया और वाद को मुताबिक राजीनामा डिक्री करा लिया जिसमें कही भी वादग्रस्त सम्पत्ति का वर्णन नही किया गया है जिसकी आड़ में उसका दुरूपयोग कर बलवीर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी के समक्ष नामान्तरकरण खुलवाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिसे उप तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी द्वारा प्रकरण को धारा 135 (2) के तहत दर्ज तो किया गया परन्तु धारा 135(2) के तहत आवश्यक जांच नही की गई है, उप तहसीलदार के समक्ष उन्ही व्यक्तियों के बयान कराये गये है जिन व्यक्तियों की मिलीभगत से बलवीर सिंह ने राजीनामा कर अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रट (कनिष्ठ खण्ड) क्रमांक 25, जयपुर महानगर जयपुर मुख्यालय चौमू से जरिये राजीनामा डिक्री प्राप्त की है, किसी भी स्वतंत्र गवाह से या सरपंच से इस तथ्य की जानकारी नही की गई कि नानूसिंह का उत्तराधिकारी कौन है व कौन नही है, उसके परिवार में अन्य कौनसा व्यक्ति मौजूद है, बिना समुचित जांच किये बलवीर सिंह को नानूसिंह का उत्तराधिकारी मानकर नामान्तरकरण खोलने में उन्होने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जिस भूमि के सम्बन्ध में उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोलने की आज्ञा दी है, उस वादग्रस्त भूमि का खातेदार नानूसिंह है ही नही, बिना राजस्व रिकार्ड की जानकारी किये नामान्तरकरण तस्दीक करने की आज्ञा देने में अधीनस्थ न्यायालय ने न केवल विधिक त्रुटि की है बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र का भी सही इस्तेमाल नही किया है, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 624 तस्दीक करने में उन्होने कानूनी गलती की है। उन्होने आगे कथन किया है कि जिस डिक्री के आधार पर नानूसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित हुआ था वह डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से निरस्त हो चुकी है, धारा 144 जाब्ता दीवानी की कार्यवाही में राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार इजराय द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक पूर्वाधिकारियों का नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 21.12.1996 राजस्व रिकार्ड में अंकित हो चुका है, इस नामान्तरकरण के बाद नानूसिंह बतौर खातेदार अंकित रहा ही नही है, उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने ना तो राजस्व रिकार्ड की पूरी जांच की और ना ही अन्य सह खातेदार से कोई जानकारी हासिल की, उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी के उक्त कृत्य से

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

स्पष्ट होता है कि निर्णय स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रही से ग्रसित है इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है, इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 624 भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तस्दीक किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पूर्व डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर से निरस्त हो जाने के बाद नानू सिंह पुत्र कानसिंह ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक कलक्टर जयपुर के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था, वह वाद नानूसिंह की मृत्यु के बाद उसके कोई वारिस ना होने के कारण कोई कायम मुकाम न होने के कारण दिनांक 23.09.2002 अबेट कर दिया गया, इस वाद में भवानी सिंह पुत्र शैतान सिंह ने अपने आप को नानूसिंह का कायम मुकाम बताते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और यह प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर जयपुर द्वारा नामंजूर किया जाकर वाद के अबेट होने से उसे खारिज कर दिया, इस तथ्य से बलवीर सिंह भी पूर्णतः परिचित था परन्तु उसने अपने भाई बहनों की मिलीभगत से पहले तो न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खड) एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रमांक 25, जयपुर महानगर मुख्यालय चौमू से विधि विरूद्ध डिक्री प्राप्त की और फिर उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी से मिलीभगत कर अपने नाम नामान्तरकरण खोलने की आज्ञा जैर अपील प्राप्त की है, दत्तक पुत्र जैसे प्रकरण में सरसरी तौर पर निर्णय करने में उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने भारी कानूनी गलती की है। अतः अपीलार्थीगण की दोनों अपीलें स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार रामपुरा डाबडी तहसील आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2014 एवं नामान्तरकरण संख्या 624 पर पारित आदेश दिनांक 11.12.2014 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, एवं 7 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम खोराश्यामदास तहसील आमेर जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 712, 714, 716, 717, 719, 721, 722, 1657/1829, 1658/1830, 1660 कुल किता 10 का रकबा 6.31 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 1655, 1656, 1657, 1658 कुल किता 4 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर भूमि स्थिति है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता नानूसिंह अविवाहित थे तथा उनका देहान्त दिनांक 10.09.2001 को हो चुका है। उन्होने कथन किया है कि स्व. नानूसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बाल्यवस्था में ही सामाजिक रिति रिवाज से गोदग्रहण किया था तथा समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा स्व. नानूसिंह की पगडी दत्तक पुत्र की हैसियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कराई हुई है एवं ग्राम पंचायत ने कुर्सीनामा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नानूसिंह का वारिस मानते हुए कुर्सीनामा जारी किया हुआ है इसलिये रेस्पोडेन्ट अपने दत्तक पिता नानूसिंह पुत्र कानसिंह की उक्त हिस्से की खातेदारी भूमि का विरासती नामान्तरकरण अपने हक में खुलवाने का कानूनन अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत रूप से जॉच एवं सुनवाई की जाकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक